

कार्यालय मुख्य  
पत्रांक: न-20/असुव्य (603)

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

दिनांक जून 04, 2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक  
SHRI RAM JANKI PUBLIC SCHOOL  
CHANDRABANI, CHOILA  
DEHRADUN

सन्दर्भ:- अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिट नम्बर 26354690 दिनांक 25.05.2025 के सम्बन्ध में।

आपके विद्यालय का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रमारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 28-05-2025 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रमारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 28-05-2025 के आधारे पर आपके विद्यालय हेतु उत्तराखण्ड शासन, की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 03-06-2025 से 02-06-2028 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(वी० बी० शर्मा)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
देहरादून।